उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–1

संख्या–2293 / 9–आ–1–ब्लू–प्रिन्ट / 2002 / आ.ब.

लखनऊ : दिनांक 11 जून, 2002

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के विभिन्न नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन, विकास तथा रख–रखाव के 'ब्लू–प्रिन्ट' तैयार करवाकर उनका कार्यान्वयन, समीक्षा तथा सम्बन्धित विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य एवं शासन की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था तथा उसकी सहायता के लिए नगर स्तर पर कार्यालय ज्ञाप संख्या 1662 / 9–आ–1–2000 दिनांक 10.4.2000 के द्वारा मंडल मुख्यालय नगरों के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में तथा अन्य नगरों के लिए जिलाधिकारी / विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दोनों में (जो भी वरिष्ठ हो) की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी।

उक्त व्यवस्था पर सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निदेश देते हैं कि मंडल मुख्यालय नगरों के लिए नगर स्तरीय समिति के अध्यक्ष मंडलायुक्त तथा अन्य नगरों के लिए जिलाधिकारी / प्राधिकरण के उपाध्यक्ष (दोनों में जो भी वरिष्ठ हों) समिति के अध्यक्ष होंगे, परन्तु यदि किसी नगर के विकास प्राधिकरण में शासन द्वारा अलग से पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त है तो वही उक्त समिति के अध्यक्ष होंगे।

अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या 1662 / 9–आ–1–2000 दिनांक 10.4.2000 को तात्कालिक प्रभाव से उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

आज्ञा से

जे0एस0 मिश्र

सचिव।

संख्या :– संख्या–(1) / 9–आ–1–ब्लू–प्रिन्ट / 2002 / आ.ब. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग।

2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग।

3. सम्बन्धित मंडलायुक्त / अध्यक्ष विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6. समिति के समस्त सदस्यगण।

7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

8. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

9. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

संख्या–3997 / नौ–आ–1–ब्लू–प्रिनट–मंत्री जी / 2001(आ.ब.)

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,

उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–05 सितम्बर, 2002

विषय : मा0 मंत्री, आवास एवं नगर विकास विभाग द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के ब्लू–प्रिन्ट 2002–03 के कार्यों की प्रगति समीक्षा का कार्यक्रम।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 6064 / 9–आ–1–ब्लू–प्रिन्ट / 2002 / आ.ब. दिनांक 8.8.2002 के क्रम में अवगत कराना है कि माननीय मंत्री, आवास एवं नगर विकास, तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, शीघ्र ही आपके नगर का दौरा करेंगे (इस सम्बन्ध में दौरे की निर्धारित तिथि तथा समय की सूचना आपको अलग से सूचित की जायेगी)। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी द्वारा नगर की अवस्थापना सुविधाओं के ब्लू–प्रिन्ट वर्ष 2002–03 के ब्लू–प्रिन्ट के ऐसे कार्य जिनका वित्तीय पोषण सुनिश्चित है, का शिलान्यास तथा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण एवं प्रगति समीक्षा की जायेगी।

उक्त अवसर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन तैयार कर प्रकाशित कराने का दायित्व शासन द्वारा आवास बन्धु को सौंपा गया हैं। अतः विज्ञापन तैयार करने हेतु अनुरोध है कि कृपया निम्न सूचनाएं आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को अपने नगर के माननीय मंत्री जी के दौरे से विलम्बतम दो दिन पूर्व फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. केन्द्र सरकार / प्रदेश सरकार के आप के नगर से सम्बन्धित मा0 मंत्रीगण की सूची।

2. वर्ष 2001–02 के ब्लू–प्रिन्ट में शामिल किये गये महत्वपूर्ण कार्यों की सूची (बड़ी परियोजनाओं के नाम एवं उनकी अनुमानित लागत)।

3. ऐसे कार्यों की सूची (नाम व उनकी अनुमानित लागत) जिनका शिलान्यास तथा लोकार्पण मा. मंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है।

4. गत तीन वर्ष में समस्त विभागों द्वारा पूर्ण करायी गयीं महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सूची (बड़ी परियोजनाओं के मात्र नाम तथा उनकी लागत)

5. आपके नगर हेतु निर्धारित तिथि को मा. मंत्री जी के मिनट दर मिनट कार्यक्रम का विवरण।

6. नगर में कराये जा रहे/कराये गए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के फोटोग्राफ व उनका संक्षिप्त विवरण।

कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

संख्या–2333 / 9–आ–1–आई.डी.एस.एम.टी. / 2002(आ.ब.)

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,

उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–17 जून, 2002

विषय : आई.डी.एस.एम.टी. योजना के क्रियान्वयन हेतु समीक्षा व्यवस्था विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई.डी.एस.एम.टी. योजना के क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठकों का आयोजन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाए :–

(i) आई.डी.एस.एम.टी. योजना की समीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष में 6 बैठकें (क्रमशः माह अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसम्बर तथा फरवरी) में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएं । समीक्षा बैठक में केवल अधिशासी अधिकारियों व सहयुक्त / सहायक नगर नियोजकों को ही बुलाया जाए। अपरिहार्य कारणोवश यदि उनके द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया जाता है, तो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से पूर्व में अनुमति प्राप्त करेंगे। उक्त बैठक माह के द्वितीय बृहस्पतिवार को आयोजित की जाएगी एवं राजकीय अवकाश होने की दशा में अगले कार्य–दिवस में बैठक आयोजित की जाए।

(ii) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा उक्त बैठक अपनी अध्यक्षता में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्यालय, लखनऊ पर आयोजित की जाएगी।

(iii) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक शासन स्तर से सम्बन्धित मुद्दे, प्रकरण एवं समस्याओं को चिन्हित कर, बैठक के उपरान्त तीन दिन के अन्दर शासन के संज्ञान एवं निराकरण हेतु विशेष सचिव, आवास अनुभाग–3 के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(iv) जहाँ पर किसी भी अधिकारी, विशेषकर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अवर अभियंता अथवा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारी को एक से अधिक इकाई का कार्यभार सौंपा गया है तो ऐसे अधिकारियों को प्रत्येक इकाई / स्थानीय निकाय के लिए सप्ताह में न्यूनतम एक दिन निर्धारित करने के उपरान्त सम्बन्धित इकाईयों / नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत को अवगत करा दिया

जाए। किसी इकाई का प्रभार अन्य इकाई के अधिशाषी अधिकारी, अवर अभियंता या नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों को दिया गया है तो ऐसी स्थिति में जो तिथि निर्धारित की जाएगी वह तीनों अधिकारियों के लिए एक ही होगी।

(v) आई.डी.एस.टी. की जितनी भी इकाइयाँ कार्यरत हैं उन सभी इकाईयों के लिए तत्काल सहयुक्त नियोजक/सहायक नियोजक की तैनाती/सम्बद्धता की व्यवस्था मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सुनिश्चित करेंगे। यदि इकाईयों की संख्या से अधिकारियों की संख्या कम है तो ऐसी दशा में ऐसी इकाईयों का प्रभार निकटस्थ खण्ड/इकाई में तैनात सहयुक्त नियोजक/सहायक नियोजक को प्रभार सौंपने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

2. कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

संख्या : 2333(1)/9—आ—1—आई.डी.एस.एम.टी./2002आ.ब. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3. सम्बन्धित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

4. सम्बन्धित अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

5. गार्ड फाइल में अभिलेख हेतु।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम

उप सचिव।

संख्या–2772/9–आ–1–21 आई.डी.एस.एम.टी./2002

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,

उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति,

(संगठित विकास योजना के नगरों से सम्बंधित जनपद),

उत्तर प्रदेश।

3. समस्त अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,

(संगठित विकास योजना के नगरों से सम्बंधित नगर),

उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–04 सितम्बर, 2002

विषय : संगठित विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा संगठित विकास योजनांतर्गत चयनित नगरों की स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण/अनुदान स्वीकृत किया गया है। उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश भी जारी किये गये हैं। शासन स्तर पर दिनांक 13 जून 02 को संगठित विकास योजना के अंतर्गत चयनित नगरों की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की एक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई थी, जिसमें संबंधित नगरों की नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/संबंधित विकास प्राधिकरणों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित थे। प्रगति समीक्षा के समय उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया कि कुछ

नगरों की संगठित विकास योजना के कार्यों को जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा कराये जाने का निग्रय जिला स्तर पर लिया गया है तथा कुछ नगरों में योजना के कार्य हेतु धनराशि को जल निगम अथवा अन्य संस्था को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संगठित विकास योजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित संशोधित गाइड लाइन्स–1995 के बिन्दु 2 के प्रस्तर (ई) में निम्नवत व्यवस्था दी गयी है :–

"Promoting resource-generating schemes for the urban local bodies to improve their overall financial position and ability to undertake long-term infrastructure development programmes on their own as well as to repay the borrowed capital and user in necessary municiapl reforms."

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के स्वामित्व में उपलब्ध निर्विवादित भूमि पर ही संगठित विकास योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी जानी चाहिए जिनका क्रियान्वयन भी स्थानीय निकाय स्तर से किया जाना चाहिए। प्रायः देखने में आया है कि कुछ योजनायें जो विकास प्राधिकरण द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय की भूमि पर तैयार की गयी थीं, उनका क्रियान्वयन स्वयं विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया। ऐसे विकास प्राधिकरणों द्वारा भारत सरकार की निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार लाभकारी, लागत वापसी एवं अलाभकारी योजनाओं के 40:30:30 के अनुपात में धनराशि व्यय न करके मनमाने ढंग से अलाभकारी योजनाओं पर व्यय कर दी गयी है जिससे योजना का स्वरूप ही बदल गया फलस्वरूप उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पायी है। जो योजनायें क्रियानिवत की गयी हैं, वे अधूरी पड़ी हुई हैं तथा उनका कब्जा भी संबंधित स्थानीय निकायों को नहीं मिल सका है। यदि विकास प्राधिकरण अथवा अन्य एजेंसी द्वारा इन योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तो इस प्रकार की समस्यायें वर्तमान में चल रही परियोजनाओं में भी आयेंगी तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित कर अगली किश्तें प्राप्त करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायेगी।

2. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि संगठित विकास योजना की समस्त परियोजनायें जो नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि पर तैयार की गयी हैं, उनका क्रियान्वयन मात्र संबंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा ही किया जायेगा। इस प्रकार की परियोजनाओं का क्रियान्वयन विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/जिला नगरीय विकास अभिकरण/जल निगम अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा भविष्य में नहीं किया जायेगा। यदि योजना प्राधिकरण द्वारा अपनी भूमि पर प्रस्तावित है व भारत सरकार द्वारा तदनुसार स्वीकृत है, तो उस पर प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वयन में आपत्ति नहीं है।

3. विषयगत प्रकरण में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी नगर में संगठित विकास योजनांतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय निकायों के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था से कराये जाने के संबंध में कोई निर्णय लिये गये हैं अथवा धनराशि किसी अन्य संस्था/अभिकरण को हस्तान्तरित की गयी है तो जिला स्तर पर लिये गये उक्त निर्णय तत्काल प्रभाव से निरस्त माने जाये। मामले में हस्तान्तरित धनराशि नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा संचालित योजना के रिवाल्विंग फण्ड में तत्काल जमा करा दी जायें।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या :– 2772(1)/9–आ–1–02, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।